

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या—4020/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक दिसम्बर 4, 2024,

विषय:— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या—281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 में नगर पालिका पौड़ी द्वारा कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थित से अवगत कराने एवं 02 माह अन्दर संयुक्त टीम का गठन करते हुए नियमानुसार आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में जनपद स्तर पर प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी की अध्यक्षता में 04 सदसीय समिति गठित की गई गठित समिति द्वारा दिनांक 20-09-2024 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए निम्नानुसार आख्या प्रस्तुत की गई है :-

1. निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौड़ी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड अन्तर्गत कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
2. डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े(प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पेक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
3. बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट(Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10-09-2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गई है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।

Toll Free No-18002578414

Email/Speed Post/by Hand

स्वच्छ पौड़ी

स्वस्थ पौड़ी

सुन्दर पौड़ी

!! कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

Web-www.nagarpalikapauri.com

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवंफैक्स नं0-01368221927



संख्या:- 620 / न0पा0प0 / 2024-25 / पौड़ी दिनांक 21 सितम्बर 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या:-72/21-प्रशा0अधि0,स्था0 निव0-रि0अनु0आ0/2024-24 दिनांक 31 अगस्त 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली गांव/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी जिला पौड़ी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी के कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियत समय से पूर्व आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 20.09.2024 को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उपजिलाधिकारी बारहस्यूं पौड़ी महोदय एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल के द्वारा संयुक्त निरीक्षण जांच की गयी है। जो कि संलग्न है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न- संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या।

भवदीय,

(गौरव भसीन)

अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

प्रतिलिपि:- प्रशासक महोदय, नगर पालिका परिषद पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी
नदी से दूरी	100 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी0 की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	-
राज्य मार्गों से दूरी,	200 मी0	राजमार्गों से दूरी शून्य मी0	-
आवास स्थलों की दूरी	200 मी0	आवासों से दूरी 60 मी0	-
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मी0	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी 03 किमी0	-
जलापूर्ति कुंओं से दूरी	200 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुंआ स्थित नहीं है।	-
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि0मी0	87 किमी0	-

5. नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़ों के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गई है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र सं0- 29-07(19)2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र सं0- 08बी/यू0सी0पी0/09/2012/2016/एफ0सी0/2627 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट(Solid waste Management plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP)(कुल लागत 9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को पत्र सं0-95/न0पा0पो-05/2024-25 दिनांक 15 मई 2024 प्रेषित की गई है। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उक्त प्लांट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, प्लांट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि विन्दु सं0-5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान में डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिनांक 06-09-2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मी0 एक निकटतम आवास से 140 मी0 की अधिक दूरी पर ले जाया

जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर0डी0एफ0 को पृथक कर विक्रय किया जा सकेगा।

7. प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20-09-2024 को आमंत्रित कर दी गई है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित सील पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20-09-2024 को आमंत्रित की गई है। बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः उक्तनुसान मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में गठित समिति की जांच आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,



(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-163-788/2024/568 दिनांक 15.07.2024 के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024, प्रकरण ग्राम तिमली/ पौड़ी, नई विकास कॉलोनी, जिला-पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-119 में नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये:-

1. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. नगर निगम, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल एवं उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. उप जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. क्षेत्रीय अधिकारी (देहरादून), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, पौड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौड़ी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड आते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
- 2- डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थायी तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े (प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
- 3- बिन्दु सं०-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट पर विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10.09.2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी०पी०आर० अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।
- 4- टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी
नदी से दूरी	100 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी० की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	-
राजमार्ग से दूरी	200 मीटर	राजमार्ग से दूरी-0 मी०	-
आवास स्थलों से दूरी	200 मीटर	आवास स्थलों से दूरी-60 मी०	-
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मीटर	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी-03कि०मी०	-

&

Rik

✶

San

जलापूर्ति कुओं से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साइट के निकट कोई जलापूर्ति कुआं स्थित नहीं है।	-
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि०मी०	87 कि०मी०	-

- 5- नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़े के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गयी है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र संख्या:-29-07(19) 2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र संख्या:-08 बी०/यू०सी०पी०/०९/२१२/२०१६/एफ०सी०/२६२७ दिनांक १९ फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट (Solid Waste Management Plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) (कुल लागत-9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा शहरी विकास, निदेशालय, के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है (पत्र संख्या:-95/न०पा०प०-05/2024-25 पौड़ी दिनांक 15 मई 2024)। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गयी है (पत्र संख्या:-106/न०पा०प०/2024-25 दिनांक 20 मई 2024)। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान्ट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं०-5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमन्त्रित कर कार्यादेश संख्या:-557/न०पा०प०-07/2024-25 पौड़ी दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मीटर एवं निकटतम आवास से 140 मी० की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर०डी०एफ० को पृथक् कर विक्रय किया जा सकेगा।
- 7- प्रश्नगत डम्पिंग साइट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। जिससे सूखा कूड़ा एवं आर०डी०एफ० पृथक् कर विक्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साइट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साइट में अवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साइट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(गणेश भसीन)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

(डॉ० राजकुमार घतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

(दीपक रामचन्द्र शेट)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
(बा०) पौड़ी।

(स्वामिनल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

॥ आदेश ॥

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्रांक यूकेपीसीबी /एच.ओ/सा0-183/2024/568 दिनांक 15.7.2024 के द्वारा मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम तिमली/पौड़ी न्यू विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 119 में नगर पालिका पौड़ी द्वारा कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति एवं निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नवत समिति गठित की गई है:-

1. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
3. नगर पालिका परिषद पौड़ी।

तत्कम क्रम में उक्त स्थल का निरीक्षण किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को अध्यक्ष नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नवत् गठित समिति से समन्वय कर स्पष्ट संयुक्त निरीक्षण आख्या विलम्बतः 03 दिवस अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 1 प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी - अध्यक्ष,
- 2 उपजिलाधिकारी, पौड़ी - सदस्य
- 3 उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून - सदस्य
- 4 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पौड़ी - सदस्य

प्रश्नगत प्रकरण मा0एन0जी0टी0 से सम्बन्धित होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।



(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

Email id- dm garhwal@gmail.com Phone-01368222250, Fax-222080

संख्या- 72 /21-एल0बी0सी0/2024, पौड़ी दिनांक अगस्त 31 2024
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए ससमय वांछित आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- 1 प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 2 उपजिलाधिकारी, पौड़ी/श्रीनगर।
- 3 क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड देहरादून।
- 4 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी।



जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

Ami
31/8/24